कम्प्यूटर परिपत्र सं० - 2122013

परिपत्र सं0/जी0एस0टी0 ऑडिट/2021-22/कम्प्यू0परि0सं0/74/वाणिज्य कर।

कार्यालयः-कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,
(जी0एस0टी0 ऑडिट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 05 जुलाई, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्पोरेट)
समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/
वाणिज्य कर अधिकारी (कर निर्धारण)।
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः-कर निर्धारण विंग में तैनात अधिकारियों हेतु दिशा-निर्देश।

विभागीय कार्य प्रणाली में कर निर्धारण कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है, किन्तु दिनांक 01.07.2017 को जी0एस0टी0 की व्यवस्था क्रियान्वित होने के साथ ही कर निर्धारण वादों की पेन्डेंसी का सृजन समाप्त हो गया तथा अंतिम कर निर्धारण कार्य का कालबाधन भी दिनांक 30.06.2021 को व्यतीत हो गया।

अब कर निर्धारण विंग में तैनात ज्वाइंट कमिश्नर (कार्पोरेट)/डिप्टी कमिश्नर/ असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी के स्तर पर अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा और ध्यान का केन्द्रीकरण एड्ज्यूडिकेशन संबन्धी कार्य पर किया जाना है। साथ ही मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए पंजीयन बेस को अधिक से अधिक बढाया जाना आवश्यक है। इसके लिए पंजीयन (पंजीयन वेरीफिकेशन, कैन्सिलेशन, रिवोकेशन, अमेण्डमेन्ट आदि) संबन्धी कार्यवाही प्राथमिकता पर किया जाना अपेक्षित है।

कर निर्धारण विंग के लिए रिटर्न मानीटरिंग (फाईलर-नॉनफाईलर मानीटरिंग), रिटर्न स्क्रूटनी, रिफण्ड एवं रिफण्ड स्क्रूटनी, इन्फोर्समेन्ट अलर्ट संबन्धी कार्यवाही, हाई वैल्यू ई-वे बिल संबन्धी कार्यवाही, एस0आई0बी0 तथा आडिट से संबन्धित वादों का निस्तारण तथा बकाया वसूली एवं ब्याज माफी संबन्धी कार्य प्राथमिकता पर रखे गये हैं।

उपरोक्त समस्त कार्यों को तत्परतापूर्वक एवं समयान्तर्गत संपादित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि विभिन्न जोनों में चेक पोस्ट/फार्म्स आदि की क्षमता में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी, अपने मूल कार्यों के साथ–साथ मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता के पंजीयन अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यों में संबन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर के निर्देशानुसार निर्दिष्ट कार्य संपादित करेंगे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5/7/2021

(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।</u>

<u>प्रतिलिपि</u> :– ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध सर्कुलर के मेन्यू में सम्बन्धित अनुभाग पर अपलोड कराने हेतु।

(सुनील कुमार राय)
एडीशनल कमिश्नर (विधि)
वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।